मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

[22/12/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 709]

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 25/5/2012

क्रमांक एफ 11-5/2012/चीरा- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

2/ अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्कयोलॉजीकल साईटस एण्ड रिमेन्स एक्ट 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

3/ किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खसरा क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
म0प्र0	जबलपुर	जबलपुर	गोपालपुर (लम्हेटाघाट)	गुड़िया मठ (बौद्धस्तूप)	220/8	010 हेक्टर	कुमारी गुजननंदा नाबा.वल्द राकेशनंदा	हाँ

म0प्र0के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
उप सचिव
म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 709

11

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 11–5/2012/ सं

भोपाल, दिनांक 25/5/2012

प्रतिलिपि:–

1. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय मध्यप्रदेश, भोपाल । कृपया म0प्र0 राजपत्र के अगले अंक मे अधिसूचना का प्रकाशन कर अधिसूचना की 100 प्रतियां विभाग के उपयोग के लिये भिजवायें।
2. आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, म0प्र0 भोपाल की ओर उनके पत्र/पृष्ठांकन कमांक 201/संर/12 दिनांक 6/4/2012 के संदर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित। कृपया शासकीय मुद्रणालय से अधिसूचना की मुद्रित प्रतियां प्राप्त करना सुनिश्चित करें। कृपया संबंधित जिला कलेक्टर से आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध मे प्रतिवेदन प्राप्त कर अपनी अनुशंसा सहित धारा 3(3) के अधीन अंतिम अधिसूचना के प्रस्ताव देवें।
3. आयुक्त जनसंपर्क, म0प्र0 भोपाल । कृपया संलग्न सूचना को आम जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।
4. कलेक्टर, जबलपुर जिला म0प्र0 की ओर स्थानीय प्रकाशन के लिए । कृपया प्रकाशन की तिथि शासन को सूचित की जाये। कृपया स्वत्वधारियों से धारा 3(2) के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई हेतु समय निश्चित करें तथा सुनवाई पश्चात् प्रतिवेदन शीघ्र आयुक्त पुरातत्व एवं अभिलेखागार म0प्र0 भोपाल के माध्यम से उपलब्ध करावें ।

25/5/12

उप सचिव

म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन,
राजस्व विभाग

9-12-21